

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1888

उत्तर देने की तारीख : 14.12.2023

महरम रहित महिलाओं हेतु हज स्लॉट

1888. श्री धर्मवीर सिंह:

डॉ. उमेश जी. जाधव:

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में महरम रहित महिलाओं (एलडब्ल्यूएम) के लिए 4000 से अधिक हज स्लॉट का आबंटन बदलते सामाजिक परिवेश को दर्शाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस संदर्भ में विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के बीच महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) कर्नाटक से लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी)

(क) और (ख): भारत सरकार द्वारा हज 2018 में मेहरम रहित महिला (LWM) श्रेणी की शुरुआत की गई थी और तब से इस श्रेणी के तहत अधिक से अधिक महिलाओं को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। 2023 में, LWM श्रेणी के तहत 4000 से अधिक महिलाओं ने सफलतापूर्वक आवेदन किया था।

परंपरागत रूप से, मुस्लिम महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के लिए एक प्रमुख बाधा इस पवित्र धार्मिक यात्रा को करने के लिए साथ जाने वाले पुरुष हाजी यानी मेहरम पर उनकी निर्भरता थी। भारत सरकार द्वारा 2018 में पैंतालीस (45) वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को बिना मेहरम के हज के लिए आवेदन करने की अनुमति देकर इस प्रतिबंध को हटा दिया गया था, जिसमें पात्र महिलाओं के लिए चार (4) के समूहों में LWM श्रेणी के तहत तीर्थयात्रा करने का प्रावधान किया गया था।

हज-2023 में, पहली बार, भारत सरकार ने एकल पात्र महिलाओं को भी एलडब्ल्यूएम श्रेणी के तहत हज-2023 के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। परिणामस्वरूप हज 2023 में 4000 से अधिक सफल आवेदकों की बड़ी भागीदारी हुई है जिससे अधिक महिलाओं में आत्मविश्वास, व्यक्तिगत

स्वतंत्रता और सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है। इस पहल ने लैंगिक समावेशिता और महिला सशक्तीकरण में भी सकारात्मक भूमिका निभाई है।

एलडब्ल्यूएम श्रेणी के तहत आवेदनों को प्रोत्साहित करने के अलावा, एलडब्ल्यूएम श्रेणी के तहत तीर्थयात्रियों की यात्रा को और अधिक आसान और सुगम बनाने के लिए प्रशासनिक तौर पर से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं: -

- i. किसी एकल पात्र महिला तीर्थयात्री, जो एलडब्ल्यूएम श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहती है, के आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण।
- ii. सऊदी अरब गणराज्य (KSA) की हवाई यात्रा के दौरान महिलाओं की सहायता के लिए महिला खादिम-उल-हुज्जाज के साथ निर्दिष्ट आरोहण स्थानों से निर्धारित उड़ानें संचालित की गईं।
- iii. मेहरम रहित श्रेणी की अकेली महिला हाजियों के ठहरने के लिए निर्धारित भवन उपलब्ध कराए गए थे। इन महिला तीर्थयात्रियों और उनके सामानों की सुरक्षा के लिए समर्पित महिला समन्वयक, हज अधिकारी, हज सहायक और खादिम उल हुज्जाज को तैनात किया गया था। इसके अलावा, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी मुद्दों की देखभाल के लिए इन इमारतों में महिला डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स को तैनात किया गया था।
- iv. सऊदी अरब में जहां भी आवश्यकता थी, LWM श्रेणी के तीर्थयात्रियों के प्रवास के दौरान उनके यातायात के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की गई थी।

(ग) भारतीय हज समिति के माध्यम से 2023 में कर्नाटक से हज पर जाने वाले कुल 7,120 तीर्थयात्रियों में से, 119 तीर्थयात्री LWM श्रेणी के अंतर्गत थे।
